रानिप नगर पालिका

बनाम

बाबुजी गभाजी ठाकुर व अन्य

नवम्बर 23, 2007

(डॉ. अरीजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे.जे.)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, धारा 27-एफ-कर्मकार का पर्यवसान- को धारा 27-एफ का उल्लंघन होने से चुनौती दी गई। अधिनस्थ न्यायालय ने बहाली का निर्देश अभिनिर्धारित करते हुए लगातार 240 दिन की सेवा पूरी नहीं होने को साबित करने का भार नियोजक पर रखा - अपील में यह अभिनिर्धारित किया कि लगातार 240 दिन की सेवाएं पूरी होने को साबित करने का भार कर्मकार पर है- अधिनस्थ न्यायालय ने मामले पर उचित दृष्टिकोण से विचार नहीं किया - इसलिए मामला श्रम न्यायालय को प्रेषित किया गया - साक्ष्य - साबित करने का भार।

विपक्षी - कर्मकार की सेवाओं का पर्यवसान अपीलार्थी - नियोजक द्वारा कर दिया गया। कर्मकार द्वारा इसको इस आधार पर चुनौती दी गई कि धारा 25-एफ, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत उचित प्रक्रिया की पालना किए बिना उसकी सेवाओं का पर्यवसान कर दिया गया। कर्मकार ने दावा किया कि वे 1991 से लगातार काम कर रहे थे। उनके पर्यवसान तक, अर्थात 16.05.1994 तक। श्रम न्यायालय ने सेवा की निरंतरता के साथ उनकी बहाली का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ एवं खंडपीठ ने श्रम न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील में अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि दलील के अभाव में, साथ ही श्रम न्यायालय के 240 दिन की सेवा पूर्ण होने के सम्बन्ध में जो निष्र्कष दिया है, उच्च न्यायालय ने यह उचित अभिनिर्धारित नहीं किया है कि श्रम न्यायालय ने यह निणर््ित किया है कि कर्मकार ने 240 दिन की सेवाएं पूर्ण कर ली थी। यह कि अधिनस्थ न्यायायल ने गलती से यह स्थापित करने की जिम्मेदारी नियोजक पर डाल दी कि कर्मकार ने 240 दिन की सेवाएं पूर्ण नहीं की थी। जबकि यह स्थापित करने का भार उस व्यक्ति पर है जिसने 240 दिन से अधिक सेवाऐं देने का दावा किया है।

अपील स्वीकार की गई और मामले को श्रम न्यायालय को प्रेषित किया गया, श्रम न्यायालय ने यह निर्णित किया है किः-

(1) यह साबित करने का भार कर्मकार पर है कि उसने पिछले वर्ष 240 दिन लगातार काम किया है। और यह भी कर्मकार पर है कि स्वयं को परीक्षित करवाने के अतिरिक्त वह यह तथ्य साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे कि वह नियोजक के नियोजन में था।

रेंज वन अधिकारी बनाम हदीमानी, (2002) 3 एस. सी. सी. 25; एसेन डिंकी लिमिटेड बनाम राजीव कुमार (2002)8 एस.सी.सी. 400, राजस्थान राज्य गंगानगर एस. मील्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य, (2004)8 एससीसी 161; नगरपालिका निगम फरीदाबाद बनाम सिरी निवास, (2004)8 एससीसी 195; एम. पी बिजली बोर्ड बनाम हरिराम, (2004)8 एससीसी 246; प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक बैंगलोर बनाम. एस. मणि व अन्य (2005)5 एस. सी. सी. 100; बटाला सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम सोवरन सिंह, (200508 एस. सी. सी. 25; सुरेंद्रनगर जिला पंचायत बनाम. देह्याभाई अमरसिंह, (2005)7 सुप्रीम 307; आर. एम. येल्लट्टी बनाम

द अस्ट. कार्यकारी अभियंता, (2006)1 एस. सी. सी. 106; ओएनजीसी लिमिटेड और एन.आर.वी. बनाम श्यामल चंद्र भौमिक, (2006) 1 एससीसी 337 और सुरेंद्रनगर जिला पंचायत बनाम. गंगाबेन लालजीभाई और अन्य (2006) 9 एससीसी 132 पर निर्भर था।

2. अपीलार्थी - प्रबंधन ने यह साबित करने के लिए साक्ष्य पेश की है कि विपक्षी कर्मकार ने जो 1991 से कार्य करने का दावा किया था वह स्पष्ट रूप से गलत था। वास्तव में, वर्ष 1991 से कार्य करने के दावे के विपरीत निष्कर्ष दिया गया कि विपक्षीगणों में से एक ने वर्ष 1994 से कार्य किया था। इस पर पक्षकारों द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर तथ्यात्मक रूप से सुना जाना आवश्यक था। जो कि जाहिर है कि नहीं किया गया है। इसलिए श्रम न्यायालय, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ व खण्ड पीठ के आदेश को अपास्त कर दिया गया और मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए श्रम न्यायालय को प्रेषित किया गया। श्रम न्यायालय को मुख्यतः यह तय करना है कि क्या कर्मकारों की सेवाएं जारी रखने का दावा स्वीकार्य है। यह भी तय किया जाना है कि क्या कर्मकारों ने 240 दिन की सेवाएं पूरी कर ली थी। इस निर्णय में यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या अधिनियम की धारा 25-एफ की कोई प्रासंगिकता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4468/2005।

एलपीए नम्बर 424 (2003) नम्बर 6/2000 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के अन्तिम निर्णय और आदेश दिनांक 28.04.2023 से।

महेन्द्र आनंद, एच.एस. परिहार ओर कुलदीप एस. परिहार - अपीलार्थी की ओर से

पी.के. मनोहर - विपक्षी की ओर से

यह निर्णय डॉ. अरीजीत पसायत द्वारा दिया गया है:-

1. इस अपील में गुजरात उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी की लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई। लेटर्स पेटेंट अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

2. संक्षिप्त तथ्यात्मक दृष्टिकोण संदर्भ दिया जाना पर्याप्त होगा।

3. विपक्षी द्वारा यह दावा किया गया था कि उनकी सेवाऐं धारा 25-एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में वर्णित प्रक्रिया की पालना किए बिना ही पर्यवसान कर दी गई (संक्षेप में अधिनियम)। उनका यह दावा था कि उनको नियमित आधार पर नियोजित किया गया था। इसलिए उनकी सेवाओं का पर्यवसान अवैध है। उन्होंने याचिका में अभिकथन कर दावा किया है कि वे वर्ष 1991 से कार्य कर रहे थे और लगातार तब तक कार्य कर रहे थे जब कि दिनांक 16.05.1994 को मौखिक आदेश द्वारा उनकी सेवाओं का पर्यवसान कर दिया गया। अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि विपक्षी दैनिक भत्ता सहायक के रूप में कार्यरत थे उनकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार नहीं की गई थी। श्रमिक को आवश्यकता पड़ने पर कार्य करने के लिए बुलाया जाता था। इसलिए यह कहा गया कि सेवाओं की निरन्तरता का जो दावा किया है वह गलतफहमी के आधार पर किया गया है। विपक्षी ने केवल कुछ दिन ही काम किया था।

वास्तव में नवम्बर, 1993 के पश्चात कोई सम्पर्क नहीं किया गया क्योंकि सेवाओं की आवश्यक्ता नहीं थी। श्रम न्यायालय, अहमदाबाद ने आदेश दिनांक 09.07.1999 द्वारा सेवाओं की निरन्तरता के साथ बहाली और 50 प्रतिशत बकाया वेतन दिए जाने का निर्देश दिया। इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यह तर्क दिया गया कि विपक्षी दिहाडी मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने नियमित सेवाएं नहीं दी थी। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा रिट याचिका को खारिज कर यह निर्णित किया कि प्रत्येक विपक्षी ने 240 दिन की सेवाऐं पूर्ण कर ली थी। और इसलिए श्रम न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। जैसा कि उपर उल्लेखित है, रिट अपील खारिज कर दी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि इस प्रकार के कोई अभिकथन नहीं किए गए थे कि विपक्षी ने 240 दिन की सेवाऐं पूर्ण कर ली थी। वास्तव में दावा याचिका में बिना कोई विशेष विवरण दिए उनका दावा रहा है कि उन्होनें लगातार सेवाएं दी थीं। किसी भी स्तर पर श्रम न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष नहीं दिया गया कि उन्होंने सेवाऐं देने के 240 दिन पूर्ण कर लिए थे। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश पीठ का यह निर्णय न्यायोचित नहीं है कि श्रम न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सम्बन्धित श्रमिकों ने सेवाएं देने के 240 दिन पूर्ण कर लिए थें। आगे यह भी तर्क दिया गया कि सभी प्रासंगिक अभिलेख श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे जिनको किनारे कर दिया गया और यह ध्यान में रख कर कि वर्तमान विपक्षी के दावों को स्वीकार करना है, केवल अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है।

5. इसके पश्चात् यह भी तर्क दिया गया कि साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर है जिसने दावा किया है कि 240 दिन से अधिक की सेवाएं दी गई थी। श्रम न्यायालय व उच्च न्यायालय ने गलती से यह प्रतिपादित किया है कि यह साबित

करना नियोजक पर है कि दावेदार - श्रमिक ने सेवाऐं देने के 240 दिन पूरे नहीं किए थे।

6. दूसरी ओर विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तथ्यात्मक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहंुचा है।

7. बड़ी संख्या में प्रकरणों में साबित करने के दायित्व के कानून के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। रेंज वन अधिकारी बनाम एस.टी. हदीमानी (2002) 3 एससीसी 25 में यह प्रतिपादित किया है कि:-

"**(2)** इस प्रकरण में, यह विवाद श्रम न्यायालय में प्रेषित किया गया था कि विपक्षी ने 240 दिन कार्य किया है और उसकी सेवाएं छंटनी मुआवजे के भुगतान के बिना ही पर्यवसान कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया और यह तर्क दिया गया कि विपक्षी ने 240 दिन कार्य नहीं किया था। ट्रिब्यूनल अवार्ड दिनांक 10.08.1998 में इस निष्कर्ष पर पहुची कि सेवाएं बिना छंटनी मुआवजा दिए पर्यवसान कर दी गई। विपक्षी द्वारा 240 दिन कार्य किया गया था, इस निषकर्ष पर पहुचते हुए ट्रिब्यूनल ने यह प्रतिपादित किया कि सेवाओं का पर्यवसान, न्यायसंगत था और यह साबित करने का भार प्रबंधक पर था और श्रमिक का शपथपत्र यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसने एक वर्ष में 240 दिन कार्य किया था। "

(3) हम जो दृष्टिकोण ले रहे हैं उसके लिए इस सवाल पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है कि क्या अपीलार्थी एक उद्योग है या नहीं, यद्यपि निर्भरता गुजरात सरकार बनाम प्रीतम सिंह नरसिंह परमार ख्2011,9 एससीसी 713 में पारित इस न्यायालय के निर्णय पर रखी गई है। हमारी राय में ट्रिब्यूनल समान प्रकार के साक्ष्य के आधार पर बिना निर्धारित किए कि विपक्षी ने उसके पर्यवसान से पिछले वर्ष 240 दिन से अधिक काम

किया था, साबित करने का भार प्रबंधन पर रखने हेतु सही नहीं है। यह दावेदार का दावा था कि उसने कार्य किया है परन्तु यह दावा अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार किया गया था। अब यह दावेदार पर था कि वह साक्ष्य पेश करे कि वास्तव में उसने पर्यवसान से पिछले वर्ष 240 दिन कार्य किया था। शपथपत्र पेश करना केवल उसके पक्ष में उसका स्वयं का बयान है और जिसे किसी भी न्यायालय के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता है या ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्रमिक ने वास्तव में एक वर्ष में 240 दिन काम किया है। वेतन की रसीद या 240 दिन की मजदूरी या नियुक्ति का आदेश या अभिलेख या इस समय के लिए संलिप्तता के बाबत कोई साक्ष्य श्रमिक द्वारा पेश नहीं की गई। केवल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (2007) 12 एस.सी.आर 458 इस आधार पर अवार्ड अपास्त किए जाने योग्य है। हालांकि विभाग की ओर से उपस्थित डतण् भ्मह्कम ने यह कथन किया है राज्य वास्तव में व्यवस्थित कानून लाने में रूचि रखते हैं। और आज से दो माह में विपक्षी को अनुकम्पा के आधार पर उन समान शर्तो पर नियोजन दिया जाएगा जिन पर कथित तौर से पर्यवासन से पूर्व काम पर लगाया हुआ है।

8. उक्त निर्णय का पालन ऐसेन दैनकी बनाम राजीव कुमार (2002)8 एससीसी 400 में किया गया।

9. राजस्थान सरकार गंगानगर एस. माईल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार व एएनआर, (2004)8 एससीसी 161 में इस स्थिति को मद संख्या 6 में पुनः दोहराया गया जो निम्न हैः-

‘‘यह दावा श्रमिक का था कि उसने सम्बन्धित साल में 240 दिन से अधिक कार्य किया था। इस दावे को अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार किया गया। यह जिम्मेदारी दावेदार की थी कि वह साक्ष्य पेश करे कि उसने पर्यवसान से पिछल वर्ष वास्तव में

240 दिन कार्य किया था। उसने शपथपत्र पेश किया। शपथपत्र पेश करना केवल उसके पक्ष में उसका स्वयं का बयान है जो किसी भी न्यायालय के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता है या ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुचे कि श्रमिक ने वास्तव में एक वर्ष में 240 दिन कार्य किया है। इस पहलू पर रेंज फोरेस्ट ऑफिसर बनाम एस.टी. हदिमानी ख्2002,3 एससीसी 25 में प्रकाश डाला गया। वेतन की रसीद या 240 दिन की मजदूरी या इस सम्बन्ध में आदेश या अभिलेख पेश नहीं किया गया। केवल किसी विशेष समय के लिए मस्टर रोल पेश नहीं करना श्रम न्यायालय के लिए यह निर्णय करने का पर्याप्त आधार नहीं है कि श्रमिक ने दावे अनुसार 240 दिन कार्य किया है।

10. मुंसिपल कॉर्पाेरेशन फरीदाबाद बनाम सीरी निवास (2004)8 एससीसी 195 में यह प्रतिपादित किया है कि यह साबित करने का भार श्रमिक पर था कि उसने उसकी छंटनी के पिछले वर्ष 240 दिन कार्य किया है। एम.पी. इलेक्ट्रीसिटी बनाम हरीराम ख्2004,8 एससीसी 246 में इस स्थिति को मद संख्या 11 में पुनः दोहराया गया जो निम्न हैः-

“उपरोक्त भार को पूर्ण रूप से साबित नहीं किया गया और श्रम न्यायालय ने ऐसा निर्णित करते हुए हमारी राय में, औद्योगिक न्यायालय और उच्च न्यायालय ने केवल गलती से निकाले गए प्रतिकूल निष्कर्ष के आधार पर बहाली का आदेश गलत किया है। इस स्तर पर इस न्यायालय के मुंसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद बनाम सीरी निवास जे.टी. (2007)7 एससी 248 निर्णय को संदर्भित करना उपयोगी होगा। जिसमें यह न्यायालय उच्च न्यायालय के कुछ सम्बन्धित दस्तावेज पेश नहीं करने पर इस आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की राय से असहमत था। इस न्यायालय को इस बाबत यही कहना था किः-

‘‘कानून का न्यायालय उस मामले में भी जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, उपधारणा कर सकेगा, या उपधारणा नहीं कर सकेगा कि यदि पक्षकार द्वारा सर्वोत्तम साक्ष्य उसके कब्जे में होने के बावजूद पेश नहीं किया गया तो यह उसके तर्क के विपरीत जाएगा। हालांकि मामला अलग होगा जहां न्यायालय द्वारा निर्देश देने के बावजूद साक्ष्य रोका गया हो। साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष की उपधारणा हमेशा स्वैच्छिक है और कारणों में से एक कारण जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है वो प्रकरण में शामिल तथ्यों की पृष्ठ भूमि है। इस प्रकार उपधारणा अनिवार्य नहीं है क्योंकि जानबूझकर पेश नहीं करने के बावजूद अन्य कारण हो सकते है जिस कारण जानबूझकर पेश नहीं करना कुछ उचित आधार पर न्यायसंगत हो। इस मामले में औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला। यह विपक्षी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के प्रकार को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इसके क्षेत्राधिकार में था।

11. मेनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मनी व अन्य (2005)5 एससीसी 100 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीश खण्ड पीठ ने वापस मामले पर विचार किया और निर्णित किया कि प्रारम्भ में यह साबित करने का भार श्रमिक पर था कि उसने 240 दिन की सेवाएं पूर्ण रूप से दी है। ट्रिब्यूनल की राय में साबित करने का भार नियोजक पर था, जा गलत माना गया। बाटला कॉर्पोरेटिव शुगल मिल्स लिमिटेड बनाम सोवर्ण सिंह ख्2005,8 एससीसी 25 में यह प्रतिपादित किया था किः

‘‘जहां तक प्रश्न 240 दिन से अधिक कार्य करने को साबित करने का है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रेंज फोरेस्ट ऑफिसर बनाम एसटी हदीमानी में देखा गया है, साबित करने का भार श्रमिक पर है।

12. इस स्थिति की जिला पंचायत बनाम देहाबाई अमर सिंह(2002)7 सुप्रीम 307, में विस्तार से जांच की गई और रेंज फोरेस्ट ऑफिसर, सीरी निवास, एमपी इलेक्ट्रीसिटी, बोर्ड में व्यक्त विचारों को दोहराया है।

13. आर.एम. येल्लटी बनाम असिस्टेंट कार्यकारी अभियन्ता (2006)1 एससीसी 106 में उक्त उल्लेखित निर्णय को नोट किया गया था और यह प्रतिपादित किया गया था किः-

''इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि धारा 10 औद्योगिक विवाद अधिनियम की कार्यवाही में कई बार साक्ष्य अधिनियम की कार्यवाही में कई बार साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू

नहीं होते हैं हालांकि सामान्य सिद्धांतों को लागू करने और उक्त उल्लेखित निर्णयों को पढ़ने पर, हम पाते सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (2007) 12 एस.सी.आर 459 हैं कि इस न्यायालय ने बार-बार यह विचार लिया है कि यह साबित करने का भार दावेदार पर है कि उसने एक वर्ष में 240 दिन कार्य किया है। केवल मात्र श्रमिक के कटघरे में आने पर साबित करने की जिम्मेदारी पूर्ण होना मानी जाऐगी। श्रमिक के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने पर साबित करने की जिम्मेदारी पूर्ण होना मानी जायेगी। दैनिक वेतनभोगी की सेवाओं के पर्यवसान के मामले में कोई नियुक्ति या पर्यवसान पत्र नहीं होगा, वेतन का सबूत या कोई रसीद नहीं होगी। इस प्रकार ज्यादातर मामलों में श्रमिक (दावेदार) केवल नियोजक से अपेक्षा कर सकता है कि वह न्यायालय के समक्ष समबन्धित समय में दिया गया नाममात्र मस्टररोल, नियुक्ति या पर्यवसान का पत्र, यदि है तो, मजदूरी रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर आदि पेश करे। प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना अन्त मंे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित होगा। हालांकि उक्त निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि श्रमिक द्वारा सम्बन्धित एक वर्ष में 240 दिन कार्य किया गया है

साबित करने की जिम्मेदारी पूर्ण करना जो कि विधि द्वारा श्रमिक पर रखी गई, के सम्बध में केवल शपथपत्र या स्वयं दावेदार, कर्मचारी द्वारा दिए गए बयान पर्याप्त नहीं होंगे। उक्त निर्णयों में यह भी प्रतिपादित किया है कि दावेदार श्रमिक के द्वारा बिना दमन की याचिका के केवल मात्र मस्टर रोल्स के पेश नहीं करने से स्वतः यह ट्रिब्यूनल के लिए (प्रबंधन के विरूद्ध) प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता। अंत मे, उक्त निर्णय मूल सिद्धांत को निर्धारित करते है, अर्थात, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब तक कि वे विकृत हैं। यह अभ्यास प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

14. उक्त स्थिति को पुनः ओएनजीसी लिमिटेड व अन्य बनाम श्यामल चन्द्र भौमिक (2006)1 एससीसी 337 एवं सुरेन्द्र नागर जिला पंचायत बनाम गंगाबेन लालजी भाई व अन्य (2006)9 एससीसी 132 में दोहराया गया।

15. इन सभी मामलों में यह प्रतिपादित किया है कि यह साबित करने का भार श्रमिक पर है कि उसने पिछले वर्ष लगातार 240 दिन कार्य किया है और यह श्रमिक पर है कि नियोजक द्वारा नियोजन के तथ्यों को साबित करने हेतु स्वयं को परीक्षित करवाने के अतिरिक्त साक्ष्य पेश करे।

16. यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी ने यह साबित करने के लिए साक्ष्य पेश की है कि विपक्षी ने जो दावा किया है कि वे 1991 से कार्य कर रहे थे, साफ तौर पर गलत है। वास्तव में 1991 से कार्य करने के दावे के विपरीत यह निर्णय अभिलिखित किया गया है कि विपक्षीगण में से एक विपक्षी 1994 से कार्य कर रहा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है और व्यक्त की गई राय उक्त

अभिलिखित कई निर्णयों के विपरीत है। श्रम न्यायालय व उच्च न्यायालय का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता।

17. पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर तथ्यात्मक निर्णय की आवश्यकता थी। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया है। हम इसलिए श्रम न्यायालय, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ एवं खण्ड पीठ के आदेश को अपास्त करते हैं और मामले में नए सिरे से विचार करने हेतु मामला श्रम न्यायालय में प्रेषित करते हैं। जिसे विशेष रूप से यह निर्णय अभिलिखित करना है कि क्या श्रमिकों की सेवाएं जारी रखने का दावा स्वीकार्य है। यह भी तय किया जाना है कि क्या श्रमिकों ने 240 दिन की सेवाएं पूर्ण की थी। यह निर्णय देखने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या अधिनियम की धारा 25-एफ की कोई प्रासंगिकता है।

18. अपील खर्चे के सम्बन्ध में बिना आदेश के स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मोनिका धनोल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।